न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 35/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/125

उनवान

1. घण्टोली
2. किशोरी
3. किशन

} पुत्र गोपी जाति जाटव निवासी पुरावाई खेडा तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 13.01.2021 प्रकरण संख्या 143/2005 उनवान घण्टोली बनाम सरकार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दिनेश श्रीवास्तव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–22.03.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 13.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पुरावाई खेडा तहसील बयाना पर वादीगण अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के समय से ही यानि राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व संवत 2012 से लेकर ताहाल लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर रवी की फसल गेंहू, सरसो, खरीफ फसल में बाजरा, ज्वार आदि की फसल बोते चले आ रहे हैं। विवादग्रस्त आराजी वादीगण के अन्य खातेदारी के खसरा नम्बरान से लगी हुयी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खिलाफ मौका चारागाह दर्ज होती चली आ रही है। जबकि विवादित आराजी पर आज तक कभी पशु/मवेशी नहीं चरे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का संवत 2012 के पूर्व से ही एवं अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त रिकार्ड से प्रमाणित है। राजस्व अभिलेख में चारागाह कतई गलत दर्ज हो रही है। विवादित भूमि कभी भी चारागाह के उपयोग में नहीं आयी है एवं ना ही विवादित आराजी में कभी पशु/मवेशी चरे हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट के अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुयी है एवं मेढ पर ट्यूबवैल भी अपीलाण्ट के पूर्वजो ने ही लगाये हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की ओर गौर ना करते हुये, सरसरी तौर पर दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है एवं उसमें मवेशी चरते हैं। अपीलांट का विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा है एवं कब्जे के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2024–27 में विवादित आराजी चारागाह दर्ज है एवं प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी में ट्रेसपार्सर का नोट अंकित है। इस प्रकार अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अवैध कब्जा है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की है एवं किसी एक व्यक्ति के हितार्थ सार्वजनिक सुविधा को बंधक नही बनाया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोग की सभी भूमि, जिनमें चारागाह प्रमुखतः शामिल है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानो के अन्तर्गत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकारो का सृजन वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. हम यह भी पाते हैं कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के अलावा महताव जाट, देवीराम वगै0, मदनलाल वगै0, रूँधी पुत्र सावल, रतन पुत्र मूली, छीतर, मंगती पुत्र रामखिलाडी, रामजीलाल, माग्या, सामन्ता आदि के नाम भी विवादित आराजी पर बतौर ट्रेस पासर अंकित हैं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर इस प्रकार नाजायाज रूप से अतिक्रमण करने का कृत्य विधि विरूद्ध है एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही संज्ञान में आने पर न्यायालय मूक दर्शक नही रह सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने इस पर कोई संज्ञान नही लिया है एवं ना ही इस बाबत् कोई तनकी कायम की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार बयाना को निर्देश देवें

36

कि उपरोक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुये, अतिक्रमियों को विवादित आराजी से बेदखल करें।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2021 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

22-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर